

दिनांक 10.11.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान नामिका अभियोजन अधिवक्ता श्री भारत भूषण पुरोहित एवं अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह फरस्वाण न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियुक्त की ओर से हाजिरी माफी मय स्थगन 21ख प्रस्तुत किया गया। सुना। न्यायहित में स्वीकार।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन हेतु दिनांक 23.11.2022 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।